केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 234 रविवार 23 मार्च 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

लापता किशोरी की नदी में मिली लाश, हत्या की आशंका

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर थानाक्षेत्र में एक किशोरी का शव कंधवलिया लाला के पास मनवर नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका पैकोलिया थानाक्षेत्र की रहने वाली है। वह गत 18 मार्च से लापता चल रही थी। परिजनों ने आरोपी नगर थानाक्षेत्र के रहने वाले सूरज के खिलाफ शादी की नीयत से बेटी को भगा ले जाने का केस पैकोलिया थाने में दर्ज कराया था। परिजन बेटी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस आरोपी सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

नगर–कलवारी थानाक्षेत्र के बार्डर पर शुक्रवार की शाम 17 वर्षीय किशोरी का शव मिलने की सूचना पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर में सीओ कलवारी प्रदीप कुमार तिवारी भी पहुंचे। पुलिस को कब्जे में लेकर जांच–पड़ताल शुरू कर दी। प्रकरण में 20 मार्च को पैकोलिया पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर सूरज के खिलाफ शादी के लिए बेटी को गत 18 मार्च को बहलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था। किशोरी के लापता होने के तीन बाद उसका शव बरामद होने से पूरे घटनाक्रम को पुलिस आशनाई से जोड़कर देख रही है। कथित प्रेमी को हिरासत में लिया है।

जज के घर नकदी का मामला अधिवक्ताओं में रोष

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास में हुए अग्निकांड के दौरान मिले नोटों के जखीरा को देखकर अधिवक्ता समुदाय हतप्रभ है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार पाण्डेय ने कहा न्याय के मन्दिरों से आमजनमस का विश्वास उठ जा रहा है भ्रष्टाचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाना होगा।' ज्वाहिर मिश्रा, रविशंकर शुक्ला, अनिल शुक्ला, अमर सिंह, महेश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, शैलजा मिश्रा, शिखा अग्रहरि, राकेश पाण्डेय, गौतम श्रीवास्तव, आशुतोष पाण्डेय आदि अधिवक्ताओं ने चिन्ता व्यक्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा किया।

ज्ञान से दूर होगी अज्ञानता

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ज्ञान से ही अज्ञानता दूर हो सकती है। जीवन से अगर अंधकार को दूर करना है तो वेद का पढ़ना–पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आर्य समाज गांधी नगर बस्ती के 106वें वार्षिकोत्सव समारोह में हरदोई उत्तर प्रदेश से पधारे वैदिक प्रवक्ता पं0 विमल कुमार ने वेद एवं ईश्वर के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर को पाने का एकमात्र तरीका अष्टांग योग है। अष्टांग योग के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उसके तमाम नियम हैं जिसका मनुष्य को अभ्यास करना होगा और एक अच्छे गुरू के सानिध्य में रहकर ही यह तरीका सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिपरक बातों को स्वीकार करने से जीवन का कल्याण होगा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

उत्तराखण्ड से पधारे भजनोपदेशक पं0 देवशर्मा ने सृष्टि के निर्माण के विषय पर ईश्वर का गुणगान करते हुए भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैदिक प्रवक्ता रविन्द्र आर्य, कानपुर ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय में बताते हुए कहा कि अगर स्वामी दयानन्द सरस्वती न होते तो आज भारत रूढ़िवादिता के आडम्बर में डूबा रहता उसे यथार्थ का ज्ञान नहीं होता।

कार्यक्रम का संचालन सत्येन्द्र वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुरलीधर भारती, राधेश्याम सिंह, हरिहर मुनि प्रधान आर्य समाज, बृजकिशोर, सुभाष चन्द्र आर्य, देवव्रत आर्य, वेदप्रकाश सहित अनेकों आर्यमक्तजन उपस्थित रहे।

संसदीय क्षेत्रों को लेकर परिसीमन पर 25 साल लगे रोक, एमके स्टालिन के पैनल ने पास किया प्रस्ताव

चेन्नई (आभा)। संयुक्त कार्रवाई समिति ने शनिवार को परिसीमन के मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया। इसमें केंद्र सरकार से पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई गई है। जेएसी ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि किसी भी परिसीमन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही, 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर लगाई गई रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाए। प्रस्ताव में कहा गया,

'लोकतंत्र के चरित्र को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन प्रक्रिया में स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दल, राज्य सरकारें और दूसरे हितधारक इस पर विचार–विमर्श, चर्चा और योगदान कर सकें।'

एमके स्टालिन ने कहा कि मौजूदा जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन भाजपा नीत केंद्र सरकार की अपनी गुप्त मंशा को लागू करने की चाल है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एक उपमुख्यमंत्री और 20 से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में पहली जेएसी की बैठक हुई। इस दौरान स्टालिन ने कहा कि भाजपा हमेशा से ऐसी पार्टी रही है, जो राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित करती है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया, '42वें, 84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहित करना था, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। साथ ही, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इसलिए 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर लगाई गई रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाया जाए।

विधायक अजय सिंह ने किया सड़क का शिलान्यास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया विधायक अजय सिंह द्वारा सड़क शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा के खम्हरिया सुजात गांव स्थित अमर शहीद कोदई सिंह स्मृति द्वार पर शनिवार को किया गया। इसके अंतर्गत 1831.91 लाख की लागत से खम्हरिया सुजात से अंबेडकर ग्राम मिर्जापुर होते हुए उमाई बंधे तक सड़क का शिलान्यास विधि विधान से पूजन अर्चन द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में किया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा विधायक का पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत किया गया और इस सड़क निर्माण कार्य के लिए लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 सालों में बड़े पैमाने पर कार्य हुआ है सभी महत्वपूर्ण सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं जो भी बची हैं उन पर कार्य चल रहा है। बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने का काम किया गया है। क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय संचालित है जल्द ही राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन किया जाएगा। भाजपा की सरकार

–बिना भेदभाव के कार्य कर रही भाजपा सरकार - अजय सिंह

में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का सरकारी योजनाओं के द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है। कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के प्रति वे शुरू से प्रतिबद्ध हैं। उनका लक्ष्य हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। बेहतर सड़क से व्यापार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीणों तक हो पाएगी।

इस अवसर पर विक्रमजोत प्रमुख केके सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पाण्डेय, विनय शंकर मिश्र, सन्तोष गौतम, प्रमुख प्रतिनिधि हरैया अंकुर सिंह, मुन्ना सिंह, राकेश सिंह, महेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह, दिलावर सिंह, अभिषेक सिंह, नंदन सिंह, सूरज सिंह, राहुल सिंह, धर्म ध्वज सिंह, अंतेश सिंह, गिरिजेश बहादुर सिंह, विवेक कान्त पाण्डेय, रवीश मिश्र, उदय प्रताप सिंह, बद्री विशाल सिंह, आनन्द सिंह, शिवकुमार गुप्ता, पवन पाल, राम गोविंद, मनोज सिंह, डब्लू सिंह, रामसहाय, दुर्गेश आदि उपस्थित रहे।

बी.एन. शुक्ल अध्यक्ष, श्याम प्रकाश शर्मा महामंत्री बने

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को बस्ती वरिष्ठ नागरिक समिति का वार्षिक अधिवेशन प्रेस क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। वार्षिक अधिवेशन में वक्ताओं ने समिति के विकास, सदस्यता अभियान चलाने, वरिष्ठ नागरिकों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने पर जोर दिया। दूसरे सत्र में चुनाव अधिकारी कृष्णदेव मिश्र की देख रेख में सर्व सम्मत से पदाधिकारी घोषित किया। बी.एन. शुक्ल अध्यक्ष, श्याम प्रकाश शर्मा एडवोकेट महामंत्री, ओम प्रकाश पाण्डेय कोषाध्यक्ष, पं. चन्द्र बली मिश्र, पेशकार मिश्र संगठन मंत्री और बी. के. मिश्र संयुक्त मंत्री बनाये गये।

नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पाण्डेय ने कहा कि समाज निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जबकि वरिष्ठ नागरिक पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अनेक मानसिक तनावों से गुजर रहे हैं, परिजनों द्वारा उन्हें वृद्धाआश्रम में

- वरिष्ठ नागरिक समिति के वार्षिक अधिवेशन में बुर्जुगों की स्थिति पर विमर्श

भेज दिये जाने की प्रवृत्तियां बढ रही है सरकार और परिवार के स्तर पर व्यवहारिक पहल करना होगा। कहा कि वरिष्ठ नागरिक अनुभवों का खजाना है, युवा पीढी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढे।

इस अवसर पर प्रोफेसर रघुवंशमणि त्रिपाठी, डा. रामनरेश सिंह मंजुल, डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' सरदार जगबीर सिंह, त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, साधू शरण शुक्ल, प्रदीप चन्द्र श्रीवास्तव, सामईन फारूकी, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, रहमान अली रहमान, अफजल हुसेन अफजल, दीपक सिंह प्रेमी, अजमत अली सिद्दीकी, रामयज्ञ मिश्र, आशुतोष नारायण मिश्र के साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक लोगों को प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

होली मिलन समारोह में पारम्परिक गीतों की धूम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा शनिवार को अटल बिहारी बाजपेई प्रेक्षागृह में होली मिलन समारोह का आयोजन गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री श्रीराम चौहान, विधायक अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ल आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके किया। गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा मंत्रोचार और लोगों के मस्तक पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय हर्षित द्वारा 'हुआ है आज मेरा दिल दीवाना होली में' गीत प्रस्तुत किया गया इसके बाद पूरा ऑडिटोरियम तालिया की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गायक पंकज गोस्वामी, सृष्टि दूबे और बाबा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंग बरसे भीगे चुनरवाली, होली खेले रघुवीरा आदि

-सनातन संस्कृति, जड़ों से जोड़ते हैं पर्व त्यौहार -महेश शुक्ल

एक से एक बढ़कर फगुआ गीत प्रस्तुत किया गया।

हरैया विधायक अजय सिंह, विक्रमजोत प्रमुख केके सिंह और अन्य द्वारा कई फगुआ गीतों की प्रस्तुति ढोल मजीरे के साथ दी गई। विधायक की शानदार प्रस्तुति पर पूरा ऑडिटोरियम फगुआ गीतों से झूम उठा। समारोह में शामिल होने के लिए जनपद वासियों का उत्साह काबिले तारीफ था। स्थित यह थी कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही ऑडिटोरियम खचाखच भर गया और बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। गुलाल और फूलों की एक दूसरे के साथ होली ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। महेश शुक्ला ने जनपद वासियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि होली मिलन और सांस्कृतिक समारोह का उद्देश्य आपसी मेल–जोल को बढ़ावा देना और उन्हें अपने संस्कृति परंपराओं से जोड़े रखना भी है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, संजय जयसवाल, सीपी शुक्ल, रवि सोनकर, अशोक सिंह, राजेंद्र नाथ तिवारी, यशकान्त सिंह, प्रेम सागर तिवारी, नरेंद्र त्रिपाठी चंचल, सरोज बाबा, राम सिंगार ओझा, गोपेश्वर त्रिपाठी, रघुनाथ सिंह, जटाशंकर सिंह, योगेंद्र सिंह, नीलम सिंह राणा, वीरेंद्र मिश्रा, दिवाकर मिश्र, सत्य प्रकाश सिंह, विनय शुक्ला, राजा ऐश्वर्यराज सिंह, सुरेन्द्र तिवारी, अभय सिंह गुड्डू, सिद्धार्थ मिश्र, प्रत्यूष विक्रम सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, रामचरन चौधरी, चंद्रशेखर मुन्ना, अनिल पाण्डेय, आलम चौधरी, प्रभात गौतम, विमल पाण्डेय, अमित गुप्ता, जतिन गौड़, जितेंद्र यादव, सर्वेश, गिरीश पाण्डेय, आकाश, विकास, विश्वनाथ, सुभाष दूबे, वीरेंद्र शुक्ल, प्रवीन श्रीवास्तव, रोली सिंह, ममता सिंह, शालिनी मिश्रा, संध्या दीक्षित, अनीता अग्रहरि, किरन सिंह, लता सिंह, प्रीति श्रीवास्तव, आशीष त्रिपाठी, डॉ एमके सिन्हा, कर्नल केसी मिश्र, अरविन्द दूबे, ध्रुव चन्द्र प्रहलाद, प्रमोद, योगेश शुक्ल, संजय सिंह सहित बडी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

भाजपा नेता ने दिन दहाड़े परिवार पर चलायी गोलियां, तीन बच्चों की मौत, पत्नी गंभीर

सहारनपुर (आभा)। शनिवार की दोपहर भाजपा नेता ने पत्नी और तीन बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। दो बेटे और एक बेटी की मौत हो गई। जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन–फानन में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो परिवार के चार लोग खून से लथपथ जमीन में पड़े थे। आरोपी भागने के प्रयास में था लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया और फिर उसकी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

गंगोह के गांव सांगाठेडा निवासी 42 वर्षीय योगेश रोहिला भाजपा जिला कार्यकारिणी का सदस्य है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह घर पर पत्नी नेहा (38 वर्षीय), बेटी श्रद्धा (11 वर्षीय), बेटा देवांश (छह वर्षीय) और शिवांश (पांच वर्षीय) के साथ मौजूद था। बगल वाले मकान में चाचा ने घर में चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह योगेश के घर चले गए, वहां देखा कि योगेश पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है। चाचा ने विरोध किया तो योगेश ने चाचा को एक कमरे में बंद कर दिया और देखते ही देखते अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सबसे पहले पत्नी नेहा, फिर बारी बारी से बेटी व दोनों बेटों के कनपटी (32 बोर, इंडियन मेड) पर सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही पत्नी और तीनों बच्चों लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़े। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीण परिवार की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बेटी श्रद्धा दम तोड़ चुकी थी।

पत्नी और दोनों बेटे लहूलुहान हालत में तड़प रहे थे। ग्रामीणों ने आनन–फानन में पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस गांव पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह भेजा गया, वहां गंभीर हालत को देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचते से पहले ही दोनों बेटों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जबकि नेहा की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। उसकी हालत नाजुक बनी है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, एसपी ग्रामीण सागर जैन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से कई साक्ष्य जुटाये। खास बात है कि योगेश की यह दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी की जहर सेवन से वर्ष 2010 में मौत हो चुकी है।

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी योगेश रोहिला के माता–पिता व तीन बहनों की वर्ष 2008 में जहर खाने से मौत हो चुकी है। मामले में एक मुकदमा योगेश ने पहले कुछ पड़ोसियों पर कराया था। बाद में पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में योगेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने व शवों को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बाद में मुकदमे में कोर्ट से योगेश को राहत मिली थी। योगेश की दो बहनों की पहले ही शादी हो चुकी है। वह दिल्ली में रहती है।

सहारनपुर एसएसपी रोहित सजवाण थाना गंगोह अंतर्गत योगेश रोहिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी पत्नी व तीन बच्चों को गोली मार दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि बेटी की मौत हो चुकी थी। पत्नी और दोनों बच्चे खून से लथपथ हालत में तड़प रहे थे। पूछताछ में योगेश ने बताया कि पत्नी के चरित्र को लेकर परेशान था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया। मौके से जिस लाइसेंसी रिवाल्वर से घटना को अंजाम दिया गया, वह बरामद कर ली गयी है।

विश्व हिन्दू महासंघ ने सौंपा ज्ञापनः सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद, मदरसा निर्माण को बुल्डोजर से ध्वस्त कराने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में महासंघ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी और उप जिलाधिकारी सुनिष्टा सिंह को सौंपा। मांग किया कि भानपुर तहसील क्षेत्र के रामनगर में निजाई के ग्राम प्रधान, अध्यक्ष ग्राम पंचायत आशमा बेगम और प्रधान पति मो. रईस पुत्र साहबू, उनके सहयोगी इस्लाम, मो. अहमद, नुरूल हुदा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे के निर्माण के प्रयास को तत्काल प्रभाव से रोका जाय।

ज्ञापन देने के बाद विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ग्रामीणों ने मण्डलायुक्त को इस सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया था जिस पर उन्होने बेदखली आदेश पारित किया। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर

–अवैध निर्माण ध्वस्त न हुआ तो महासंघ हटवायेगा कब्जा– अखिलेश सिंह

अवैध रूप से मस्जिद और मदरसे के निर्माण कराया जा रहा था। इसे लेकर गांव में तनाव है। उन्होने मांग किया कि सरकारी जमीन से बुल्डोजर चलवाकर अवैध निर्माण हटवाया जाय। यदि 15 दिन के भीतर प्रभावी कार्यवाही न हुई तो विश्व हिन्दू महासंघ अपने कार्यकर्ताओं, नागरिकों के साथ अवैध कब्जा हटवाने को बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह राणा, प्रदीप, कुलदीप मिश्रा, अमरजीत सिंह, बालकृष्ण सिंह, हर्षदीप शुक्ला, बंटी चौहारी, राहुल चौरसिया, राजेश कसौधन, अरविंद सिंह, उपेंद्र सिंह, संध्या चौधरी के साथ ही विश्व हिन्दू महासंघ के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।

शैलजा सिंह सहकारिता में योगदान के लिये सम्मानितःमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर बी.पैक्स पथराबाजार की सभापति श्रीमती शैलजा सिंह को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान राजधानी लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिया गया।

सम्मानित किये जाने के बाद श्रीमती शैलजा सिंह ने यहां प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि क्षेत्रीय सहकारी समिति पथरा बाजार का 1947 में गठन हुआ था, 1979 में इसका नाम किसान सेवा सहकारी समति हुआ और वर्ष 2023 में बी. पैक्स पथरा बाजार के नाम से संस्था निरन्तर गतिमान है। वर्ष 2023–24 सत्र में 1060 सदस्य बनाये गये । समिति द्वारा खाद वितरण, पशुपालन ऋण, किसान केडिट लोन का वितरण किया जाता है। बैंक की वसूली शत प्रतिशत है। इन्ही कार्यो के आधार पर बी. पैक्स पथरा बाजार का चयन कार्य के आधार पर किया गया। यह बड़ी

उपलब्धि है। बताया कि वर्तमान में 3663 सदस्यों के माध्यम से बी. पैक्स पथरा बाजार गतिमान है।

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि वर्ष 2023–24 में सहकारिता सदस्यता अभियान में सिद्धार्थनगर में 33 हजार किसानों को सहकारिता से जोड़कर सदस्य बनाया गया।

सिद्धार्थनगर बी.पैक्स पथराबाजार सम्बद्ध जिला सहकारी बैंक की सभापति श्रीमती शैलजा सिंह को उनके योगदान के लिये सम्मानित किये जाने पर सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री और विधायक जय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री डा. सतीश द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, नगर पालिका नौगढ अध्यक्ष गोविन्द माधव के साथ ही सहकारिता से जुड़े अनेक संगठनों, पदाधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि जनपद के लिये यह बड़ी उपलब्धि है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 23 मार्च 2025 रविवार

सम्पादकीय

हाशिये पर किसान

खेती–किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों के एक घटक द्वारा तेरह माह से चलाए जा रहे आंदोलन का बलपूर्वक समापन एक अच्छी स्थिति कदापि नहीं की जा सकती। हालांकि यह भी तय था कि यह आंदोलन अनिश्चितकाल के लिये नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में बात न बनने के बाद पंजाब सरकार की बलपूर्वक की गई कार्रवाई से धरना स्थल को खाली करवाने व किसान नेताओं की गिरफ्तारी से किसानों में रोष स्वाभाविक ही है। निर्विवाद रूप से लंबे समय से खनौरी व शंभू बॉर्डर से जुड़े राजमार्ग के बाधित होने से यात्रियों व कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं सरकार ने भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई को तार्किक बताया है कि दो प्रमुख राजमार्गों के लंबे समय तक बंद रहने से उद्योग और व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। निजी वाहनों को भी लंबे रास्तों से सफर तय करने में अधिक समय व पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा था। वहीं किसान नेताओं का आरोप है कि उन्हें आंदोलन करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने का कदम दमनकारी है। जैसा कि उम्मीद थी, विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसान संगठन व सरकारें विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जिसके चलते राज्य सरकार व किसान संगठनों में अविश्वास व टकराव बढ़ा है। विडंबना यह भी है कि किसान संगठनों में मांगों को लेकर खासे मतभेद हैं। यदि सभी संगठन एमएसपी के मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते तो शायद कोई सार्थक समाधान निकल पाता। लेकिन इसके विपरीत किसान संगठन आपस में ही उलझते रहे। यही वजह है कि किसान संगठनों के घटते जनसमर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। जबकि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे के प्रति गंभीर नजर नहीं आयी।

जरूरी है कि केंद्र व राज्य सरकारें किसानों के मुद्दों पर कितु–परंतु की नीति को त्यागकर समयबद्ध तरीके से कृषि संकट को दूर करने के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता से बातचीत करें। विभिन्न मांगों पर लचीला रवैया दोनों पक्षों के लिये लाभकारी साबित हो सकता है। यह समय किसान संगठनों के लिये भी आत्ममंथन करने का है। उन्हें तीन कृषि सुधारों के विरोध में वर्ष 2020–21 में दिल्ली की सीमा पर चले लंबे किसान आंदोलन के खराब संचालन से भी सबक लेना चाहिए। हालांकि, तीन प्रस्तावित कृषि कानून अंततरू स्थगित कर दिए गए, लेकिन सैकड़ों किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बावजूद फसलों की एमएसपी हेतु कानून बनाने में विफलता ही हाथ लगी। निस्संदेह, लंबे किसान आंदोलन से पंजाब के कारोबार को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ध्यान रहे कि कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ऐसे में सभी को साथ लेकर सुलह–सफाई करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत है। यदि ऐसा न होने पर राज्य में अशांति बढ़ती है तो वित्तीय संकट से जूझते पंजाब को और मुश्किलों का सामना करना होगा। सरकार को भी घाटे का सौदा साबित हो रही खेती की दशा सुधारने के लिये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में सोचना चाहिए। वहीं कर्ज माफी की किसानों की मांग पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। जब उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। वहीं किसानों को भी चाहिए कि वे कृषि ऋण गैर उत्पादक कार्यों पर न खर्च करें। किसान संगठनों को भी एक मंच पर आकर जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए, जो हाल में लगातार कम होता गया है। इस दिशा में केंद्र सरकार से भी गंभीर पहल की दरकार है। यह मुद्दा देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। साथ ही उन मुद्दों को भी संबोधित करने की जरूरत है जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से पैदावार घटाने में भूमिका निभा रहे हैं। यह भी कि पंजाब में लगातार गिरता भूजल स्तर किसानों के सामने नये संकट पैदा कर रहा है। ऐसे में फसल विविधता के मुद्दे को भी संबोधित करने की जरूरत है।

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार समय की मांग

—ललित गर्ग—

भारत की न्याय प्रणाली विसंगतियों एवं विषमताओं से घिरी है। न्याय–व्यवस्था जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं अपने कार्य–संचालन करती है वह अत्यंत महंगी, अतिविलंबकारी और अप्रत्याशित निर्णय देने वाली है। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।' न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है।' एक ही प्रकृति के मामलों में अलग–अलग फैसले आना, कुछ न्यायाधीश कभी–कभी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर मामलों को चुनते देखे जाते हैं, कुछ वकीलों को केस असाइनमेंट और सुनवाई के समय के मामले में तरजीह दी जाना, आंशिक सुनवाई के मामलों की प्रथा आदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिये न्याय प्रक्रिया में आमूल–चूल परिवर्तन की अपेक्षा है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि एक मौजूदा न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी पाई गई। इस तरह की घटना, किसी भी चल रही जांच के बावजूद, न्यायपालिका की ईमानदारी और निष्पक्षता पर एक बदनुमा दाग है।

न्यायपालिका ईमानदारी, निष्पक्षता और कानून के समक्ष समान व्यवहार के मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र के चार स्तंभों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायालयों की ईमानदारी में जनता और कानूनी समुदाय का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से कानून में क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश

के रूप में इसके लिये तत्पर है और वे न्याय–प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी है। स्वल्प समय में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में वे कई महत्त्वपूर्ण फैसलों के कारण चर्चा में हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उन्होंने देश की न्यायपालिका के आमूल–चूल स्वरूप में परिवर्तन पर खुलकर जो विचार रखे हैं, वे साहसिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े होने के साथ आम लोगों की धारणा से मेल खाते हैं। नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना के सामने अनेक चुनौतियां हैं, उनका मार्ग कंटकाकीर्ण हैं। उनके द्वारा शुरु किये कानून सुधार–अभियान की किसी पहल का विरोध होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए। न्यायिक प्रणाली, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, न केवल निंदा से परे होनी चाहिए बल्कि जनता द्वारा भी देखी जानी चाहिए। न्यायालयों के भीतर एक व्यापक आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक प्रक्रिया बेदाग रहे और न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा को उसके सही परिप्रेक्ष्य पर बहाल किया जा सके। न्यायालयों की निष्पक्षता में आम आदमी का विश्वास सर्वोपरि है, और इस विश्वास को खतरे में डालने वाली किसी भी घटना से शीघ्रता और विवेकपूर्ण तरीके से निपटा जाना चाहिए।

न्यायालयों के कामकाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनकी समीक्षा की जानी जरूरी है। यह बहुत स्पष्ट है कि कुछ न्यायाधीश, कभी–कभी, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर मामलों चुनते देखे जाते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की एकरूपता और निष्पक्षता को कमजोर करता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पक्षपात या पक्षपात की किसी भी झलक से बचने के लिए मामलों का चयन करने का विवेक सीमित होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी मामलों को एक स्थापित, पारदर्शी रोस्टर प्रणाली के आधार पर निष्पक्ष रूप से आवंटित किया जाए। यह भी न्याय–प्रक्रिया की एक बड़ी विसंगति है कि कुछ वकीलों को केस असाइनमेंट और सुनवाई के समय के मामले में तरजीह दी जाती है। इस तरह की प्रथाएं न्याय की नींव को ही नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि वे अनुचित पक्षपात का कारण बन सकती हैं। किसी भी वकील को, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो, न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सर्वप्रथम तो भारत के न्यायपालिका का संस्थागत चरित्र बदलने की जरूरत है। यह सामंती है और इसे इसके स्थान पर लोकतांत्रिक बनाना होगा। संवैधानिक जजों की चयन प्रक्रिया बहुत ही अलोकतांत्रिक है, जिसमें संविधान में वर्णित 'हम भारत के लोग' इनकी कोई भूमिका नहीं है। यहां पहले से पदासीन चले आ रहे लोग अपनी पसंद के लोगों को चुनकर पदों पर बिठा देते हैं, देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में भारत का पूरा न्यायिक तंत्र कुछ परिवारों के कब्जे में आ गया है। वर्तमान सरकार ने परिवारवादी राजनीति के साथ परिवारवादी न्याय–व्यवस्था में सुधार किये हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश निचली अदालतों की कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती। समय आ गया है कि यह सब आम आदमी की भाषा में हों। वर्षों–वर्ष चलने वाले मुकदमों का खर्च भी बहुत ज्यादा है। न्याय प्रक्रिया की कोई सीमा–अवधि नहीं है। इसलिए निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक समस्त न्यायालयों को दो पालियों में चलाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नए न्यायालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। न केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, बल्कि जनसंख्या और लंबित मामलों का संज्ञान लेते हुए न्यायिक कर्मियों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना के ताजा वक्तव्यों में ऐसे ही सुधार को अपनाने के संकेत मिल रहे हैं, जो स्वागतयोग्य होने के साथ सराहनीय भी है।

निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी ही चाहिए। जैसाकि अमेरिका में किसी भी मामले के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित है। लेकिन भारत में मामले 20–30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। एक सक्षम न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका केवल न्याय देने का ही काम नहीं करें, बल्कि सरकार की कमियों पर नजर रखना एवं उसे चेताना भी उसका दायित्व है। न्यायपालिका की हठधर्मिता, विधायिका और कार्यपालिका का न्यायिक सुधार के संबंध में उपेक्षात्मक रुख साथ–साथ भारतीय जनमानस की उदासीन भूमिका ऐसी जड़ताएं हैं जिसने अपार पीड़ा को सहते हुए भी न्यायिक सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने का कार्य कभी नहीं किया गया, जो मिला उसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। अनेक मामलों में अन्यायपूर्ण न्याय को स्वीकारना ही आम जनता की विवशता रही है। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने गौरवपूर्ण इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तंत्र ही स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक, तीक्ष्ण, समयबद्ध और उपयोगी बनाए रखना चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

अमेरिकी उत्पादों से व्यापार युद्ध

—देविंदर शर्मा—

जब हाल ही में मैंने पढ़ा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक हैड ने विशेष तौर पर भारत से कहा है कि वह अपना बाजार अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोले, तो इस पर, मुझे विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न के बोल याद आ गए, जो उन्होंने उस समय देश में अपनी यात्रा के दौरान कहे थे, संक्षेप में कुछ यह था 'मैं सहमत हूं कि अमेरिकी किसानों को जिस मात्रा की सब्सिडी मिलती है, वह एक प्रकार से पाप है, लेकिन यदि भारत अपना बाजार नहीं खोलता, तो यह आपदा का नुस्खा होगा।'

एन्न वेनमैन (जिनका कार्यकाल जॉर्ज बुश जूनियर के समय 2001–2005 तक था) से शुरू होकर कुछ इसी किस्म का दोगलापन अमेरिका के एक के बाद एक आए कृषि मंत्री समय–समय पर दिखाते रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि किस प्रकार उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) में अपने संबोधन में बेशर्मी से विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री की उस मूर्खतापूर्ण दलील (जो कि हास्यास्पद भी थी) का समर्थन किया, जिसमें भारत कृषि मंडी को जबरदस्ती खोलने की बात कही गई थी। दरअसल, एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका के कम–से–कम 14 कृषि फसल निर्यात समूहों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को पत्र लिखकर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नाम पर फसल–विशेष को दिए जाने वाले मूल्य संरक्षण की ऊपरी सीमा तय करवाने की मांग की ताकि अमेरिकी निर्यात की भारत में राह खुल सके।

इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए अवांछित व्यापार युद्ध से मैं हैरान नहीं हूं। यह एकदम जाहिर है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में लंबे समय तक चली बहुपक्षीय वार्ताओं से जो कुछ अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, उसकी प्राप्ति के वास्ते अब ट्रंप की अरबपति मित्र मंडली विकासशील देशों को घुटनों पर लाने की गलत सलाह दे रही है। लेकिन कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब अवज्ञा में खड़ी होने लगी हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि भारत ऐसा कुछ दिखाए कि यदि उसे कुछ झुकने के लिए कहा जाए, तो ऐसा आभास दे कि वह रेंगने तक को राजी है।

यहां मैं एक और कहानी सुनाना

चाहूंगा। कुछ साल पहले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने टिप्पणी की थी कि चीन के 'खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड' के कारण अमेरिका उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। अगले दिन मैंने संयोग से बीबीसी टीवी चौनल चालू किया, जहां एक पत्रकार तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति से पूछ रहा था रू 'अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार रोकने वाली धमकी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।' उनका जवाब भी उतना ही रूखा था रू 'अमेरिका के साथ व्यापार? जब हमने 4,000 साल से ज़्यादा अमेरिका के साथ व्यापार किया ही नहीं, तो इससे अब क्या फर्क पड़ने वाला है?' इस बयान के अगले दिन ही अमेरिकी व्यापार और उद्योग जगत अपने राष्ट्रपति द्वारा चीन के साथ व्यापार बंद करने के आह्वान के विरुद्ध लामबंद हो गया। आखिरकार बिल क्लिंटन को घरेलू उद्योग लॉबी के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने फिर कभी इस मुद्दे को नहीं छेड़ा। नए टैरिफ युद्ध वाले मुद्दे पर फिर से लौटेते हैं, भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों के प्रवेश पर नियंत्रण व्यवस्था होने की वजह से ट्रम्प हमारी आलोचना वैश्विक 'टैरिफ किंग' का ठप्पा लगाकर कर सकते हैं (अमेरिका के 5 प्रतिशत आयात शुल्क के मुकाबले भारत का औसतन आयात शुल्क लगभग 39 प्रतिशत है), लेकिन वास्तविकता यह है जो शुल्क भारत ने लगा रखा है, वह विश्व व्यापार संगठन के उस प्रावधान के अनुरूप है जिसमें टैरिफ दर किसी देश के विकास की श्रेणी और व्यापार संहिता में वर्णित 'विशेष एवं विभेदक व्यवहार' नामक आकलन के आधार पर है, सनद रहे कि भारत किसी भी अवस्था में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा। भारत के अपेक्षाकृत उच्च शुल्क उक्त संगठन के नियमन में अंतर्निहित व्यापारिक सिद्धांतों पर आधारित है, न कि किसी की व्यक्तिगत सनक अथवा कल्पना से चालित।

दूसरी ओर, वास्तव में समस्या अमेरिका द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। इतनी ज्यादा कि 21 जुलाई, 2006 की फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते हुए, यूरोपीय संघ के तत्कालीन व्यापार आयुक्त पीटर मैंडेलसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकासशील देशों का कहना है कि वे अमेरिका के कृषि उत्पाद अधिक आयात करने को तो राजी हैं, लेकिन अमेरिकी कृषि सब्सिडी नहीं। इस बाबत उन्होंने भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमल नाथ को उद्धृत किया था रू 'हमें अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अमेरिकी खजाने का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे।' सालों–साल अमेरिका ने अपनी कृषि के इर्द–गिर्द बनाए गए भारी सब्सिडी रूपी सुरक्षा दुर्ग को और मजबूत ही किया है। अमेरिकी कृषि विभाग की आर्थिक अनुसंधान सेवा के अनुसार, किसानों और पशुपालकों को प्रत्यक्ष सरकारी कृषि कार्यक्रम के तहत दी जानी वाली सीधी वित्तीय सहायता 2025 में 42.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 2024 के लिए पूर्वानुमान 9.3 बिलियन डॉलर का था। प्रति किसान गणना के आधार पर, अमेरिका अपने हरेक किसान की 26.8 लाख रुपये सालाना जितनी वित्तीय मदद करता है। विशेष तौर कपास का मुद्दा, जो कि विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। 2021 में अमेरिका में कपास बिजाई के तहत औसत क्षेत्र 624.7 हेक्टेयर था, और इसको उगाने वाले किसान महज 8,103 थे जिन्हें अमेरिका ने अत्यंत भारी–भरकम सब्सिडी दी (जबकि भारत में कपास की खेती में 98.01 लाख किसान लगे थे)। नई दिल्ली स्थित विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन केंद्र द्वारा की गई गणना बताती है कि 2021 में अमेरिकी कपास कृषक को 117,494 डॉलर सालाना वित्तीय सहायता मिली, वहीं इसकी तुलना में, भारत में कपास उगाने वाले किसान को महज 27 डॉलर की मदद मिल पाई।

जन–जन की भागीदारी से हो जल संरक्षण

—दीपक कुमार शर्मा—

विश्व जल दिवस का उद्देश्य जल संसाधनों के महत्व को रेखांकित करना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के जल दिवस की थीम 'ग्लेशियर संरक्षण' जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे जल स्रोतों, विशेष रूप से ग्लेशियरों, पर केंद्रित है। भारत, जहां नदियां लाखों लोगों की जीवनरेखा हैं, जल संकट की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि में अत्यधिक जल दोहन ने संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। भूजल स्तर में गिरावट, प्रदूषित जल स्रोत और अनियमित मानसून इस संकट को और गहरा रहे हैं। जल संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना अधूरी है। विभिन्न सरकारी योजनाएं जल प्रबंधन को लेकर प्रयास कर रही हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव तभी संभव है जब जनता सक्रिय रूप से भागीदारी करे।

भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी हमारे देश में रहती है। वहीं जब हम साफ पानी की बात करते हैं तो पानी को लेकर स्थिति उतनी अनुकूल नहीं, जितनी नजर आती हैं। जबकि खाड़ी के मुल्क कुवैत में सबसे कम साफ पानी है। जबकि भारत साफ पानी को लेकर आठवें स्थान पर है जहां 1911 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 20 शहरों की सूची में पांच शहर भारत के हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली, छठे स्थान पर कोलकाता, 18वें स्थान पर चेन्नई, 19वें में स्थान पर बेंगलुरु और 20वें में स्थान पर हैदराबाद है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को पुनः भरना, कृषि क्षेत्र को जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में भागीदार बनाना है। यदि प्रत्येक गांव–कस्बे में लोग अपने क्षेत्र के जल स्रोतों की देखभाल के लिए आगे आएं, तो यह योजना जल संकट से निपटने में कारगर हो सकती है।

भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी हमारे देश में रहती है। वहीं जब हम साफ पानी की बात करते हैं तो पानी को लेकर स्थिति उतनी अनुकूल नहीं, जितनी नजर आती हैं। इस प्रसंग में बता दें कि ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा साफ पानी मौजूद है। जबकि खाड़ी के मुल्क कुवैत में सबसे कम साफ पानी है। जबकि भारत साफ पानी को लेकर आठवें स्थान पर है जहां 1911 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी हमारे देश में रहती है। वहीं जब हम साफ पानी की बात करते हैं तो पानी को लेकर स्थिति उतनी अनुकूल नहीं, जितनी नजर आती हैं। इस प्रसंग में बता दें कि ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा साफ पानी मौजूद है। जबकि खाड़ी के मुल्क कुवैत में सबसे कम साफ पानी है। जबकि भारत साफ पानी को लेकर आठवें स्थान पर है जहां 1911 अरब क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 20 शहरों की सूची में पांच शहर भारत के हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली, छठे स्थान पर कोलकाता, 18वें स्थान पर चेन्नई, 19वें में स्थान पर बेंगलुरु और 20वें में स्थान पर हैदराबाद है।

जल संकट से निपटने के लिए भारत में जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन की सफलता जनभागीदारी पर निर्भर करती है, क्योंकि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यदि लोग जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें, तो इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता की निगरानी, सामुदायिक भागीदारी, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार जैसी पहल की गई हैं। गांव जल एवं सीवरेज समितियों को जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और प्रबंधन में विशेष भूमिका दी गई है। यह पहल केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण को लेकर एक सामूहिक सोच विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इसके अलावा, अमृत सरोवर योजना जल संरक्षण की दिशा में एक और प्रभावी कदम है, जिसके तहत देशभर में 50,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण और पुनर्जीवन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को पुनः भरना, कृषि क्षेत्र को जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में भागीदार बनाना है। यदि प्रत्येक गांव–कस्बे में लोग अपने क्षेत्र के जल स्रोतों की देखभाल के लिए आगे आएं, तो यह योजना जल संकट से निपटने में कारगर हो सकती है।

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में वर्ष 2020 में जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जो राज्य में जल संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए समर्पित है। इस प्राधिकरण ने आमजन को जागृत करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें प्रदेश के प्रत्येक गांव के भूजल स्तर का ब्योरा है कि वर्ष 2010 में कितना था और 2020 में कितना। हरियाणा के 7287 गांवों में से 1948 गांव अत्यधिक भूजल संकटग्रस्त गांव की श्रेणी में आते हैं जो चिंता का विषय है। हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और इसका जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन जल संरक्षण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में जल संरक्षण को लेकर 1 अप्रैल, 2025 से एक और पहल की जा रही है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए सामुदायिक साझेदारी के आधार पर 4,713 एकल गांव जलापूर्ति पंचायत को देने जा रही है। जिसमें ग्राम जल एवं सीवरेज समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं अब स्वयं सहायता समूह की सदस्य गांव में पेयजल आपूर्ति में अहम भूमिका निभएंगी।

दरअसल, जनभागीदारी के बिना जल संरक्षण की दिशा में सफलता नहीं मिल सकती। सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, वित्त आवंटित कर सकती हैं। मगर लोगों की भागीदारी से ही धरातल पर योजनाएं काम कर पाएंगी। आमजन जल संरक्षण का महत्व समझें व जिम्मेदारी निभाएं तभी आने वाली पीढ़ी को पानी दे सकेंगे।

रिश्वत लेने वाला वांछित लेखपाल गिरफ्तार

संवाददाता–श्रावस्ती। बाढ़ राहत अनुदान दिलाने के लिए एक लेखपाल ने रिश्वत ली थी। शिकायत व रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर लेखपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। विवेचना में रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपित लेखपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इकौना थाना क्षेत्र के दहावर कला निवासी अजहरुद्दीन पुत्र अब्बास अली से हल्का लेखपाल प्रेम नरायन राणा ने बाढ़ राहत अनुदान दिलाने के नाम पर फरवरी 2023 में किसानों से रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ था। रुपये लेने के बाद भी जब किसान शहाबुद्दीन को अनुदान नहीं मिला तो उसने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल ने पीड़ित से गाली गलौज किया। इस पर शहाबुद्दीन ने मामले की शिकायत की। इस पर इकौना थाने में आठ फरवरी 2023 को लेखपाल प्रेम नरायन निवासी भचकाही थाना सिरसिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से मामले की विवेचना की गई जिसमें मामले की पुष्टि हुई। इस दौरान लेखपाल ने हाईकोर्ट की शरण ली। लेकिन मामला हाईकोर्ट में खारिज हो गया। आरोपित लेखपाल फरार चल रहा था। शनिवार को इकौना थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार दूबे ने टीम के साथ वांछित लेखपाल प्रेमनरायन को मल्हीपुर तहसील गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाने लाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र यादव, रामसिंह व आरक्षी संदीप यादव शामिल रहे।

मरीजों को दी जाय बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं-सीएमओ

संवाददाता–श्रावस्ती। सीएमओ ने टीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा अशोक कुमार सिंह शनिवार को संयुक्त जिला चिकित्सालय मिनगा परिसर में स्थित टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण में उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में साफ सफाई रखने की हिदायत दी। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच की। जिसमें दवाएं, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाय। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को समुचित इलाज मुहैया कराकर उन्हें स्वस्थ बनाना सभी चिकित्सकों की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता में लेकर मरीजों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएं। इस मौके पर एसीएमओ डा के के वर्मा, एसीएमओ डा संत कुमार आदि मौजूद रहे।

पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास, हेड कांस्टेबल पर रिवाल्वर की बट से हमला, बैरियर तोड़ते हुए भागा बदमाश

संवाददाता–गोण्डा। एसयूवी से भाग रहे बदमाश ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। पीछा करने पर हेड कांस्टेबल पर रिवाल्वर की बट से हमला करके घायल कर दिया। इसके बाद जगह–जगह लगे बैरियर तोड़ते हुए भागा। कुछ दूर जाकर आरोपी गाड़ी करके भाग निकला। जानकारी मिली तो एसपी ने अफसरों के साथ मौके का जायजा लिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया है। घटना मनकापुर कटी तिराहे की है।

सिद्धार्थनगर के कठेला सम्मयमाता झांकहियां गांव निवासी इसरार अहमद जिला पंचायत सदस्य और कारोबारी व ठेकेदार हैं। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे वह इटवा ब्लॉक के सामने एसयूवी खड़ी करके नमाज पढ़ने गए। वापस लौटे तो उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। गाड़ी में मोबाइल फोन व लाइसेंसी रिवाल्वर रखी थी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को एसयूवी चोरी की जानकारी दी।

पुलिस ने एसयूवी बरामद करने के लिए नाकाबंदी की। आरोपी के गोंडा की तरफ भागने की सूचना मिली। इस पर खोड़ारे, छपिया और मनकापुर पुलिस को सतर्क किया गया। रात करीब 12:05 बजे मनकापुर थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक उमेश सिंह, उपनिरीक्षक पिंटू कुमार यादव, योगेश कुमार यादव, मुख्य आरक्षी रवीश कुमार, सुरेश कुमार गुप्ता, आरक्षी दुर्गेश कुमार चौधरी व रवि सिंह ने कटी तिराहे पर रेलवे क्रासिंग का बैरियर बंद कराकर आरोपी को रोकने का प्रयास किया।

इस पर आरोपी ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने गड्ढों में कूदकर जान बचाई। इसके बाद आरोपी बलरामपुर की तरफ भागा। पुलिसकर्मियों ने दतौली चौकी पुलिस को सतर्क किया। वहां पर उपनिरीक्षक राम विनय राय, मुख्य आरक्षी राकेश कुमार कनौजिया व आरक्षी उमेश यादव ने कूड़ासन बाजार धानेपुर तिराहे पर एसयूवी को रोकने की कोशिश की। यहां भी आरोपी बैरियर तोड़कर भाग निकला।

पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन यहां पर पुलिस बैरियर एसयूवी कार में फंस गया। इसके चलते विसुही नदी पुल के पास आरोपी एसयूवी छोड़कर झाड़ियों के रास्ते भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि एसयूवी बरामद कर ली गई है। मामले में अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

सिद्धार्थनगर से भागने के बाद जिले के खोड़ारे व छपिया पुलिस को सक्रिय किया गया था। इस दौरान मसकनवा चौकी पुलिस ने रोकने के प्रयास किए थे। इस दौरान ठेला खड़ा करवाया। इतना ही नहीं, सीढ़ी भी लगाया। मगर, आरोपी चालक को खोड़ारे व छपिया पुलिस रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इतना ही नहीं, जिले में नांकेबंदी की तैयारियों की भी पोल खुल गई है। जगह–जगह पुलिस कर्मी खुद अपनी जान बचाते नजर आए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

जिले के पुलिस पूरी तरह से एक शातिर बदमाश को पकड़ने में हलकान रही है। आरोपी के दुस्साहस के बाद पुलिसकर्मी खुद दहशत में आ गए थे। गनीमत रही कि बैरियर का फ्रेम एसयूवी में फंस गई। वरना, गाड़ी भी बरामद नहीं हो पाती। सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों ने भी जायजा लिया। साथ ही आरोपी चालक की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई है। वहीं, रिवाल्वर बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं।

मंगलकारी है भगवान शिव का विवाह–स्वामी स्वरूपानन्द

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । भगवान शिव का विवाह मंगलकारी है। वे धर्म की सवारी कर वृषभ पर बैठकर बारात लेकर निकले। उनका भेष भले ही विलक्षण हो किन्तु वे समाज को संदेश देते हैं कि विवाह संस्कार में अनावश्यक प्रदर्शन न किया जाय। शंकर जी की बारात में दुनिया के सभी विलक्षण जीव थे। देवता से लेकर भूत–पिशाच तक इस बारात में शामिल हुए। यह सद् विचार कथा व्यास स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज ने नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आयोजित 9 दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा का दुबौलिया बाजार के राम विवाह मैदान में तीसरे दिन व्यक्त किया। कथा को विस्तार देते हुये महात्मा जी ने कहा कि बारात जब हिमांचल राज के यहां पहुंची तो माता मैना देवी भगवान शिव की आरती करते वक्त बेहोश हो गई। विद्वानों का कहना है कि मैना देवी को लगा कि जिसने सिर पर चंद्रमा धारण किया हो उसकी आरती एक छोटे दीपक से कैसे हो सकती है। इसी प्रकार जिसकी जटाओं से गंगा जी निकली हों उसकी पूजा एक लोटा जल से कैसे हो सकता है। बारात का यथोचित स्वागत के बाद वैदिक रीति विवाह से विवाह सम्पन्न कराया गया।

महात्मा जी ने कहा कि

–9 दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा

श्रीराम का जीवन ऐसा पवित्र है कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश के लिये था। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्र होते हैं वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक, भरत वैराग्य और शत्रुघ्न सद विचार स्वरूप है। चंदन और पुष्प से श्रीराम की सेवा करना अच्छी बात है किन्तु उनकी मर्यादा का पालन सर्वोत्तम है। जिसका व्यवहार रामजी जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी।

श्रीराम कथा के तीसरे दिन मुख्य यजमान अजय सिंह, विभा सिंह ने कथा व्यास का पूजन किया। आयोजक बाबूराम सिंह, अनिल सिंह, कन्हैया दास, राजनरायन पाण्डेय, सत्यनरायन द्विवेदी, राधेश्याम, सभाजीत चौधरी, जीत बहादुर सिंह, विश्वम्भर, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता, दंगल गुप्ता, रामकिशर सिंह, संजीव सिंह, सुनील सिंह, जसवन्त सिंह, अनूप सिंह, प्रमोद पाण्डेय, हर्षित सिंह, आदित्य सिंह, अरुण सिंह, मनोज गुप्ता, देवनरायन चौहान, नीरज गुप्ता, रामू, इन्द्रभरी सिंह, शीला सिंह के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक श्रीराम कथा में शामिल रहे।

जाम की समस्या खत्म करने सड़कों पर निकलें अफसर, ई–रिक्शा का रूट तय करने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश

संवाददाता–गोण्डा। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर कोतवाली में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी सवारी वाहनों के पास परमिट और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

इनमें रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा शामिल हैं। ई–रिक्शा चालकों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। उनके रूट तय करने के लिए चालकों के साथ अलग से मीटिंग होगी। सभी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एक सर्वे के जरिए शहर में जाम वाले प्रमुख स्थानों की पहचान की जाएगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि ई–रिक्शा किस रास्ते पर चल सकते हैं और किस पर नहीं।

ई–रिक्शा चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों की जानकारी दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी।गुरुनानक चौक, गुड्डू मल्ल चौराहा और जिला अस्पताल के आसपास ठेला लगाने वालों को भी निर्धारित जगह पर ही दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने पर उन्हें नोटिस दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुनानक चौक से जिला अस्पताल तक कोई भी एम्बुलेंस किसी भी दशा जाम में नही फसना चाहिए। सभी चिह्नित प्रमुख चौराहों पर 50 मीटर से पहले किसी भी सवारी वाहन को नहीं खड़े होने दिया जाएगा। बस और टैक्सी स्टैण्ड के संचालन में किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत न प्राप्त हो यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो जांच करा कर उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मीटिंग के उपरांत सभी अधिकारियों द्वारा गुरुनानक चौक से महिला अस्पताल तक स्थलीय निरीक्षण किया गया और सभी स्थानीय दुकानदारों व स्थानीय वेंडर्स से अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के संबंध में वार्ता की गई।

प्रदर्शन कर वकीलों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता–श्रावस्ती। लखनऊ के विभूतिखंड में अधिवक्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के विरुद्ध वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को वकीलों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। तहसील अधिवक्ता संघ इकौना के अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा की अगुवाई में शनिवार को वकीलों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान लखनऊ के थाना विभूति खंड में अधिवक्ताओं पर पुलिस की ओर से बर्बरता पूर्व लाठी चार्ज व लूट करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ओम प्रकाश को सौंपा। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि लखनऊ के थाना विभूति खंड में अधिवक्ताओं के ऊपर स्थानीय पुलिस की ओर से बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया और लूट की गई। पुलिस का जुल्म अधिवक्ताओं पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसे बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ता काफी आहत है तथा अधिवक्ता व उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। इसके पूर्व में कई जनपदों में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस की ओर से दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इससे अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उनको बर्खास्त किया जाय। साथ ही घायल अधिवक्ताओं को उचित मुआवजा दिलाया जाय। वहीं महामंत्री श्रीधर द्विवेदी ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। इस मौके पर अधिवक्ता उदय राज पांडेय, राम कुमार शुक्ला, एके सिंह, दिलीप कुमार शर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, बंसराज शुक्ला, ओम प्रकाश द्विवेदी, नितिन श्रीवास्तव, राम प्रसाद मिश्रा, शिवपाल मिश्रा, विजय पांडेय, राकेश कुमार पांडेय, सुमित मिश्रा, सुधीर शुक्ला आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

दीवानी परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन

संवाददाता–श्रावस्ती। प्रशासनिक न्यायमूर्ति सत्र खण्ड श्रावस्ती उच्च न्यायालय इलाहाबाद मंजीव शुक्ला शनिवार को एक दिवसीय भ्रमण के लिए श्रावस्ती पहुंचे। उन्होंने दीवानी न्यायालय परिसर में बने शापिंग काम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। भिनगा पहुंचे न्यायाधीश का निरीक्षण भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने दीवानी न्यायालय परिसर में जीर्णोद्धार के बाद तैयार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न केवल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि नागरिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देगा। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बाजार संरचना से शहर के विकास को नई गति मिलेगी तथा दीवानी परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं व लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। डीएम ने कहा कि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से स्थानीय व्यापार बढ़ेगा। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जनपद न्यायाधीश करुणा सिंह, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

मंगलवार 25 मार्च को तुलसी उद्यान में होगा संत समागम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। सनातन परंपरा के संवाहक प्रभु श्री राम 500 वर्षों के संघर्षों के बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान हो गए हैं, नवंबर 2019 सुप्रीमकोर्ट के अयोध्या में निरंतर धार्मिक कार्यक्रम बड़े हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहें तो अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे विश्व सनातन धर्म की हवा बहने लगी है और नित्य नए कार्यक्रम प्रभुश्री राम की जन्मास्थली अयोध्या में आयोजित हो रहे हैं इसी क्रम में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 25 मार्च मंगलवार को प्रातः 10 बजे राजकीय तुलसी उद्यान में बृहद संत समागम परिचर्चा का आयोजन किया जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ राजयोगिनी ऊषा दीदी माउंट आबू राजस्थान से पहुंचकर अपने विचार रखेंगे उत्तबातें प्रेस से मुखातिब होते हुए बी के मुकेश ने बताई। उन्होंने बताया 25 मार्च को सुबह 10 बजे संतों का समागम होगा जिसमें अयोध्या के साथ–साथ अन्य जगहों अयोध्या पहुंचकर संत महंत अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने बताया कि शाम के सत्र में ग्राम साईं का पुरवा, दर्शन नगर अयोध्या में आध्यात्मिक परिचर्चा और ध्यान योग का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, सामाजिक प्रसार विभाग से बीके वीरेंद्र भाई, बीके बाबूभाई, बीके अरुणभाई, दक्षिण भारत से एम शिवम् सहित सैकड़ो की संख्या में लोग भाग लेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे।

लूट के तीन आरोपी गिरफ्तार लूटा गया माल और बाइक बरामद

संवाददाता–बलरामपुर। पुलिस ने पचपेड़वा थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का सफल पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया नकद, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है।

घटना 20 मार्च को हुई, जब बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले अंसारुल आलम विजयनगर डिग्री कॉलेज से पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पैदल जा रहे थे। रास्ते में गनेशपुर के पास एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने उन्हें लिफ्ट दी। रमवापुर के पास पहुंचकर आरोपियों ने मोटरसाइकिल रोकी और पीड़ित से 3,500 रुपये और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।

22 मार्च को पचपेड़वा पुलिस टीम ने पचपेड़वा–बढ़नी मार्ग पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शादाब, महबूब उर्फ बब्बू और लाल मोहम्मद के रूप में हुई। ये सभी गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के च्यूटीअहवा दाखिला रतनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 3,500 रुपये, 36,000 रुपये कीमत का वीवो वी29 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपियों के खिलाफ धारा 317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया

अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, दो युवक गंभीर

संवाददाता–देवरिया। गौरीबाजार में अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में दो बाइक सवार घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा। गंभीर हालत में दोनों बाइक सवारों को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शहर के भुजौली कालोनी निवासी राज यादव अपने साथी अंकित यादव के साथ शनिवार सुबह बाइक से गोरखपुर जा रहे थे। गोरखपुर–देवरिया मार्ग पर गौरीबुजर्ग के पेट्रोल पंप के समीप बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में राज यादव (20) पुत्र राजेश यादव, अंकित यादव (19) पुत्र विजय यादव घायल हो गए। बाइक सवार घायलों को आसपास के लोग एंबुलेंस से सीएचसी भेजा। सीएचसी से चिकित्सकों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण कराएं निस्तारण –डीएम

संवाददाता–बलरामपुर। मार्च माह के चौथे शनिवार को जिले के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम पवन अग्रवाल व एसपी विकास कुमार गौरा थाने में फरियादियों की शिकायतें सुनीं। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से सम्बन्धित मामले में राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए।

गौरा थाना में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीनों, चकमार्ग, नाली, तालाब आदि पर अवैध कब्जा न होने पाए। अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यहां पर 30 मामले आए, जिसमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। कोतवाली नगर में उपजिलाधिकारी संजीव कुमार ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से सम्बन्धित मामले में राजस्व व पुलिस टीम को मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराए। कोतवाली देहात में नायब तहसील दार अनुपम शुक्ल व प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां पर 20 मामले आए। जिसमें पांच का निस्तारण मौके पर कराया गया। थाना ललिया में तहसीलदार अखिलेश कुमार ने फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर सम्बन्धित हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया। इसी क्रम में थाना तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, गैंडास बुजुर्ग सहित अन्य थानों में फरियादियों की शिकायतें सुनीं गईं।

अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हनुमान जी और रामलला का किया दर्शन पूजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। श्रम रोजगार, युवा, खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे अयोध्या सरयू जी श्री राम लला, हनुमान जी महाराज का किए दर्शन। उनके साथ गोंडा सदर दर्शन पूजन के दौरान गोंडा से सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठपुजारी हेमंत दास रहे मौजूद। धर्म सम्राट ज्ञान दास जी महाराज के शिष्य संकट मोचन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास से मंत्री ने परिवार के साथ की मुलाकात, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्माण करते हुए संजय दास महाराज ने रामनामा और गधा बैठकर स्वागत किया। सबसे पहले डॉ मनसुख मांडविया का स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ, वहां से वह मां सरयू के पावन तट पर पहुंचे, आचमन पूजन किया आरती उतारी उसके बाद वह हनुमान जी के दरबार में पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन पूजन के बाद प्रेस से मुखातिब हुए और कहा की अयोध्या जाकर के हमें बहुत अच्छा लगा भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं लाखों लोग दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहे है निश्चित ही सनातन धर्म के लिए यह सुखद अनुभव है। संजय दास महाराज ने बताया कि अयोध्या में जो भी व्यक्ति आता है उसका स्वागत हनुमान जी के दरबार में किया जाता है आज केंद्रीय मंत्री दर्शन पूजन करने के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचे हनुमान जी का गदा भेदकर उनका स्वागत किया गया।

अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन कर काफी खुश महसूस कर रहे थे और अयोध्या में खेल की सुविधाओं को और बढ़ाया जाए इस पर भी उनसे चर्चा की गई।

कार्यालय नगर पंचायत, नगर बाजार, बस्ती।

ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराया जाना है, जिसके लिए आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। बेवसाइट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा डालने की तिथि, समय, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा के विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है।

ई–निविदा (टेक्निकल एवं फाइनेन्शियल) निम्नलिखित विवरण के अनुसार वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर आनलाइन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत नगर बाजार बस्ती से कार्यालय समय एवं कार्य दिवस पर की जा सकती है।

क्रमांक	वेबसाइट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	तिथि	समय
1	ई–निविदा डाउनलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	24.03.2025	13:00 बजे
2	ई–निविदा अपलोड की प्रारम्भ तिथि/समय	24.03.2025	13:00 बजे
3	ई–निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	14.04.2025	13:00 बजे
4	ई–निविदा खोलने की तिथि/समय	14.04.2025	14:00 बजे

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नगर बाजार,
जनपद–बस्ती।

नीलम सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार,
जनपद–बस्ती।

पत्रांक: 633(1) न0प0न0बा0/2025–25 दिनाक 18–03–2025

परमात्मा से प्रेम ही ईश्वर की अनुभूति– पं. राजेश पाण्डेय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। अपरिवर्तनीय निष्ठा का नाम ही ध्रुव है। निष्ठा नहीं बदलती है तो ध्रुवत्व की प्राप्ति होती है। संसार के सम्मान और अपमान में कुछ नहीं रखा है। परमात्मा के प्यार में ही सब कुछ है। व्यक्ति, संगठन और सिद्धांत यह तीन घटक हैं आदमी की निष्ठा हमेशा सिद्धान्त के प्रति होनी चाहिए। यह सद्विचार हरैया विकासखण्ड के समौडी गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास राजेश पाण्डेय सिंटू महाराज ने भक्ति महिमा का गान करते हुए व्यासपीठ से व्यक्त किया।

कथा को विस्तार देते हुये महात्मा जी ने कहा कि भोग भक्ति में बाधक है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसे ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता इसलिए ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाता श्रीकृष्ण में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। भगवान की लीला का कोई भी पार नहीं पाया है। इस संसार में राजा हिरणाकश्यप हुए उसने अपने को ईश्वर घोषित किया। उसके ही घर में बालक के रूप में प्रहलाद ने जन्म लेकर अपने पिता को ईश्वर मानने से मना कर दिया। वह भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहे। हिरणाकश्यप ने कई यातनाएं दीं। अंत में भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर हिरणाकश्यप का वध किया। लोगों को हिरणाकश्यप के पापों से मुक्ति दिला दी। इसी प्रकार भक्त ध्रुव ने भी भगवान की भक्ति में लीन रहकर उस प्रकाश को पा लिया, जिसे पाने के लिए लोग पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं।

मुख्य यजमान राम सुमति मिश्र, सीता देवी, देवेंद्र नाथ मिश्र 'बाबू जी', धीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्रीनाथ मिश्र, सुरेंद्र नाथ मिश्र, धरणीधर मिश्र, रामफूल मिश्र, उमेश मिश्र, चन्द्र प्रकाश मिश्र, पशुपतिनाथ शुक्ल, विश्व प्रकाश मिश्र, राम जियावन शुक्ल, लालजी मिश्र, अशोक कुमार मिश्र, महेंद्र मिश्र पटवारी, पवन शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र, विजय मिश्र, भरत, हिमांशु तिवारी, संतोष मिश्र, रवीश कुमार मिश्र, अनूप यादव, हरीश, गोपाल, रत्नेश, प्रभात, अत्रय, बाबूलाल, लल्लू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

औधोगिक विकास सरकार की प्राथमिकता –नित्यानंद राय

संवाददाता–गोरखपुर। मैं उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने प्रवासी बिहारी भाइयों–बहनों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर और एक सशक्त मंच प्रदान किया। यूपी की भूमि ने उन्हें कर्मभूमि दी तो बिहार ने उन्हें संस्कार, मेहनत और जज्बे की पहचान सौंपी। बिहार की धरती ने दुनिया को नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्र दिए।

यह वही बिहार है जहां चाणक्य की बुद्धिमत्ता और सम्राट अशोक की दूरदर्शिता ने भारत को दिशा दी। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और गुरु गोविंद सिंह की जन्म भूमि ने हमें एक नई ऊर्जा दी। भारत यह बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को तारामंडल स्थित सर्किट हाउस में बिहार दिवस पर प्रेस वार्ता की।

एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्किट हाउस गोरखपुर में नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार से दूर हो सकते हैं, लेकिन बिहार आपसे कभी दूर नहीं हुआ। आपके सपनों में, आपकी बोली में, आपके संस्कारों में हर जगह बिहार जिंदा है। जब छठ महापर्व के समय सूर्य को अर्घ्य देने का समय आता है अपने शहर–गांव की गलियों की याद आती है तब आपको महसूस होता है कि बिहार सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है व एक पहचान है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तरह बिहार में भी मां सीता का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जिसकी घोषणा गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह की ओर से किया गया है।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एक समय बिहार अराजकता, अपराध और पिछड़ेपन का शिकार हो गया था। राजद के कुशासन के दौर में बिहार में न गुड गवर्नेंस था और न ही कानून का राज। अपराध, अपहरण और जाति हिंसा बिहार की पहचान बन चुकी थी। निवेशक बिहार का नाम सुनकर ही भाग जाते थे और उद्योग व्यापार ठप हो गया था। एनडीए की सरकार ने बिहार को इस अंधकार से बाहर निकाल कर विकास की राह पर आगे बढ़ाया। आज बिहार में एक्सप्रेसवे और सड़क कनेक्टिविटी में क्रांति, बिहार में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार राज्य को नए युग में प्रवेश करा रहा है। गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगा। पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे सीमांचल क्षेत्र को बिहार की राजधानी से जोड़ेगा। पटना–बेतिया एक्सप्रेसवे चंपारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे और दरभंगा–असाम एक्सप्रेसवे बिहार के कोने–कोने को हाईवे से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। जहां 2005 से पहले बिहार में सिर्फ 384 किमी ग्रामीण सड़कें थी आज 1,12,505 किमी हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार का पुनर्जागरण विश्वविद्यालय की विरासत को पुनर्जीवित किया गया।

एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कर विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। हमें इसे और मजबूत करना है, ताकि बिहार देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सके। उन्होंने गोरखपुर में रह रहे बिहारवासियों से इस बार छठ पर्व पर घर पर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के समय ही लोकतंत्र का महापर्व भी है। छठ पर्व पर आने वाले लोग लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर एनडीए की सरकार बनाने में अपनी महत्ती भूमिका निभाएंगे। मौके पर पूर्व एमएलसी व प्रदेश महामंत्री मिथलेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव, डॉ. असीम कुमार प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित रहे।

परिषदीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव में छा गया बचपन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। हरैया विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालय गजियापुर के परिसर में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान और शिक्षक नेताओं ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार, शिक्षिका एकता सिंह, मधु सिंह के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ और बैज अलंकरण करके स्वागत किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिससे बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शक झूम उठे। विद्यालय की छात्रा शिखा, पीहू, रोशनी, सारिका, साक्षी, सृष्टि, मानसी के द्वारा सरस्वती वंदना और प्रिया, शशि, माही, मोहिनी, प्रियांशी, सलोनी और अनुष्का द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सुशांत, विवेक, राधिका आदि द्वारा विकास गीत और प्रिया, सलोनी द्वारा राधा कृष्ण गीत की शानदार प्रस्तुति दी गई। अक्षिता, अल्फिया, प्रियांशी आदि द्वारा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा गीत प्रस्तुत किया गया। सर्वेश, आदित्य, आदर्श, राज, आदि द्वारा छोटे सपने हों सपने तो अपने हों गीत और राज, आदर्श, सरस, आदित्य, सर्वेश, पीहू, प्रिया, रोशनी, सलोनी द्वारा सोशल मीडिया से संबंधित नाटक प्रस्तुत किया गया। साक्षी, सारिका, प्रिया, पीहू, शिखा, शशि, माही, मानसी, प्रियांशी, रोशनी द्वारा होलिया में उड़े रे गुलाल गीत कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय लोग और अभिभावक कार्यक्रम देखकर झूम उठे। उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि इस ग्रामीण अंचल के परिषदीय विद्यालय में इस तरह का शानदार आयोजन काबिले तारीफ है। कहा कि इस तरह का शानदार सांस्कृतिक आयोजन शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है जो कि बेहतर पठन–पाठन के माहौल में बहुत ही सहायक है। कार्यक्रम को शिक्षक नेता रामसागर वर्मा, सन्तोष कुमार शुक्ल, राजकुमार तिवारी, सत्यराम वर्मा, राम प्यारे, गिरजेश बहादुर सिंह आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन योगेश कुमार सिंह ने किया।

इस अवसर पर प्रधान रामू यादव, प्रधान प्रतिनिधि संजीत सिंह, राम सहाय, छोटेलाल हनुमान दुबे, उपेंद्र तिवारी, बृजेंद्र पाण्डेय, शोभाराम वर्मा, सुधीर सिंह, विजय वर्मा, रामनयन, विजय प्रकाश, रामतौल शर्मा, राजेश वर्मा, सुनील कुमार, राम जतन वर्मा, आनंद कुमार, विनोद कुमार सिंह, रीना दिवाकर, सोनम सिंह, धनपता पाण्डेय, सत्यवती सिंह, आरती देवी, माधुरी सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–T 202517140301382
धारा 144 / 134 उ0प्र0रा0सं02006
अदालत– श्रीमान अति0 प्रथम उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला बस्ती

राजकुमार
बनाम
प्रमोद कुमार आदि

मौजा जखनी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 1. प्रमोद कुमार 2. विजय कुमार पुत्रगण हनुमान प्रसाद साकिनान मौजा जखनी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 3. तारिक अहमद 4. दाविश अहमद पुत्रगण वकील अहमद 5. सुराती देवी पत्नी रामसुभग 6. गुरूप्रसाद पुत्र गबोधर 7. अनिल चौरसिया 8. सुनील कुमार पुत्रगण रामसुभग 9. लक्ष्मी नरायन मिश्र पुत्र कमला प्रसाद मिश्र साकिनान मौजा चननी सियारोवास तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 10. विजय कुमार पुत्र हरीराम साकिन बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 11. पुष्पा देवी पत्नी रामचन्दर साकिन मोहल्ला पिकौरादत्तू राय तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 12. श्रीमती शशिप्रभा पत्नी कृपाशंकर निवासी मोहल्ला मुरलीजोत कैली रोड अस्पताल चौराहा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 13. श्रीमती प्रमिला पत्नी ज्ञानचन्द 14. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी प्रेमशंकर गुप्ता 15. श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी गौरी शंकर गुप्ता 16. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी बेचनलाल साकिन मुरलीजोत तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 17. श्रीमती सुमित्रा पत्नी हरिकृष्ण 18. रामशंकर पुत्र बेचनलाल गुप्ता 19. विनोद कुमार गुप्ता 20. रामचन्दर गुप्ता पुत्रगण बेचन लाल साकिनान मौजा हनुमानगंज तप्पा हवेली परगना मगहर पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 21. शत्रुजीत सिंह पुत्र शोहरत सिंह साकिन चिलवनिया तप्पा हवेली परगना बस्ती पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती 22. सरकार उ0प्र0 द्वारा कलेक्टर महोदय बस्ती जिला–बस्ती 23. ग्राम पंचायत जखनी द्वारा ग्राम प्रधान निवासी ग्राम लबनपार तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 09–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 09 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

घोषणा

न्यायालय– सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थ नगर
मूल वाद संख्या 424 / 2024

श्रीमती मीरा देवी
बनाम
सरकार उत्तर प्रदेश

श्रीमती मीरा देवी पुत्री शेषदत्त पाण्डेय ग्राम सुइई कनपुरवा तहसील बांसी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर व अन्य में शेषदत्त पाण्डेय पुत्र परमात्मा प्रसाद पाण्डेय ग्राम सुइई कनपुरवा तहसील बांसी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर के सम्बन्ध में सिविल डेथ उदघोषणा का वाद संस्थित किया है। यदि उक्त व्यक्ति के बावत ओई हित बद्ध व्यक्ति हो तो उक्त वाद में स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14–04–2025 को 10 बजे सुबह बजे सुनवाई के समय आपति प्रस्तुत करें।

अतैव यह उदघोषणा निकाली जा रही है कि उक्त उदघोषणा वाद में नियत तिथि तक यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति कि आपति नहीं आती है तो शेषदत्त पाण्डेय पुत्र परमात्मा प्रसाद पाण्डेय ग्राम सुइई कनपुरवा तहसील बांसी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर के सम्बन्ध में सिविल डेथ घोषित कर दिया जावेगा।

आज सन 2025 के मास 03 के दिवस 21 को यह उदघोषणा सर्व साधारण को सूचना हेतु उपरोक्त सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रकाशित कराई जा रही है।

सिविल जज (सी0डि0)
सिद्धार्थ नगर

दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुसे बदमाशों ने दंपति को पीटा, फायरिंग करके फरार

संवाददाता–अयोध्या। कुमारगंज के थाना क्षेत्र स्थित बड़ी नहर निवासी पूर्व प्रधान केशव यादव के पुत्र संतोष यादव के घर सशस्त्र बदमाशों ने धावा बोल दिया और दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। प्रधान पुत्र को असलहे के बट से वार कर लहूलुहान कर दिया। पति को पिटता देख छुड़ाने पहुंची महिला को भी बदमाशों ने पीटा और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। बेखौफ बदमाशों के सरगना की पहचान खंडासा थाना क्षेत्र के अंजरौली गांव पूरे बियसिया निवासी रोहन सिंह के रूप में हुई है। इसके पूर्व भी लगभग पखवाड़े पूर्व रोहन सिंह ने अपने साथियों के साथ बड़ी नहर पर ही दुकान में तोड़फोड़ करते हुए सामने खड़ी बाइक को भी तोड़कर नष्ट कर दिया था। मामले में पीड़ित युवक की तहरीर पर कुमारगंज पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बड़ी नहर निवासी संतोष कुमार यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वह बीते 20़21 मार्च की रात अपने घर के कमरे में सो रहे थे, तभी रात करीब 12 बजे अपने को कुमारगंज थाने का दरोगा बताते हुए कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की बात कही। जब तक संतोष कुछ माजरा समझ पाते तब तक घर के बाहर मौजूद लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया और घर में जा घुसे और लोगों ने संतोष को पीटना शुरू कर दिया।

बचाव में जब तक उसकी पत्नी दौड़ती तब तक सशत्र हमलावरों ने संतोष को घायल कर दिया। संतोष की पत्नी को भी मारा पीटा और हवाई फायरिंग कर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए पड़ोस में स्थित संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज भिजवाया। घटना के बाद पीड़ित संतोष कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। जिसके आधार पर प्रभारी थानाध्यक्ष उप निरीक्षक धनीराम ने दो युवकों क्रमशः रोहन सिंह एवं अनमोल यादव पुत्र कुंवर बहादुर यादव निवासी मेल्धुवा धनैचा के खिलाफ प्राण घातक हमले सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर श्रेयश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पकड़ धड़ के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है।

मुख्य अभियंता दफ्तर सील

संवाददाता–गोरखपुर। तीन करोड़ रुपये संपत्ति कर बकाया होने शनिवार को नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का कार्यालय सील कर दिया। बार–बार नोटिस के बाद भी बकाया भुगतान न करने पर निगम ने यह कार्रवाई की। हालांकि, 20 मिनट का बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर दफ्तर को खोल दिया गया।

साथ ही निर्देश दिया कि सोमवार तक बकाया जमा न करने पर दोबारा सील की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को दोपहर दो बजे के करीब नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय के नेतृत्व में कर विभाग और प्रवर्तन दल की टीम पहुंची थी। मौके पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नहीं थे।

इसके बाद निगम की टीम ने दफ्तर को खाली करवाकर सील कर दिया। सूचना पाकर थोड़ी देर में मुख्य अभियंता राकेश वर्मा मौके पर पहुंचे।

उन्होंने एमकेएनए विनय राय से बात की। इसके बाद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर दफ्तर को खोल दिया गया। मोहलत दी कि सोमवार तक बकाया जमा नहीं किया तो दोबारा दफ्तर सील कर दिया जाएगा।

भतीजे ने फावड़े से की बड़े पिता की हत्या

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पड़िया गांव में पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से भतीजे ने अपने बड़े पापा की हत्या कर दी है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची त्रिलोकपुर पुलिस मौके पे जांच में जुटी हुई है। मृतक की पत्नी शांति देवी ने आरोप लगाया है कि मेरे पति जगराम उर्फ डेबई पुत्र सत्तन(60) शुक्रवार की रात खाना खा पी कर घर से कुछ दूरी पर सामने एक छोटा सा छप्पर का कमरा है उसी में सोए थे।

रात में लगभग 10 बजे भतीजा आया और उनको मारते पीटते हुए धारदार हथियार से गले पर वार कर दिया। मृतक के बेटे सुभाष ने एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया पहुंचाया। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष मृत्युंजय पाठक ने बताया कि घटना की जानकारी है। परिजन के तहरीर देने पर जांच पड़ताल कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

अभद्र टिप्पणी करने पर सिपाही निलंबित

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर। गुलरिहा थाने में तैनात सिपाही शिवाजी प्रसाद को एसएसपी ने निलंबित कर विभागीय जांच का निर्देश दिया। आरोपित सिपाही मेडिकल कॉलेज चौकी पर बैठकर लोगों से चर्चा के दौरान भगवान कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। इसका ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सीओ गोरखनाथ को जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया गया।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–T 202517140301136
धारा 116 उ0प्र0रा0सं02006
अदालत– श्रीमान अति0 प्रथम उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला बस्ती

श्रीमती सुभावती आदि
बनाम
अनिल कुमार आदि

मौजा बनहरा तप्पा कनैला परगना नगर पूरब तहसील व जिला–बस्ती 1. अनिल कुमार 2. मुन्नीलाल पुत्रगण जगतनरायन 3. श्रीमती इन्द्रावती पत्नी जगतनरायन 4. चुन्नीलाल पुत्र भगवती प्रसाद 5. श्रीमती धनावती पत्नी अशर्फी लाल 6. श्रीमती कुमुद देवी पत्नी केशवचन्द 7. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी फूलचन्द्र 8. श्रीमती रीना देवी पत्नी नन्दलाल साकिनान मौजा गायघाट तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 9. नगर पंचायत गायघाट द्वारा अध्यक्ष ग्राम गायघाट तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 08–04–2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 08 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 190 / 2024
राजपाल –सायलान
1. राजपाल 2. धर्मपाल 3. सुरेन्द्र पाल पुत्रगण स्व0 ललित पाल 4. दीपका पाल पुत्री स्व0 ललित पाल निवासीगण ग्राम चन्दपलिया तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 28–03–2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 28–03–2025 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद 141 / 2024

कृपाशंकर शुक्ला आदि
बनाम
ग्राम पंचायत कोडरी आदि

1. ग्राम पंचायत कोडरी जरिए ग्राम प्रधान निवासी चकिया तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला–बस्ती 2. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती

तारीख पेशी 04–04–2025

हरगाह मुद्दई मजकूरसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 04 माह 04 सन 2025 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 38 / 2022

श्रीमती शिखा बोस
बनाम
रूद्रनरायन राय आदि

1. रूद्रनरायन राय 2. विद्याशंकर राय पुत्रगण स्व0 कालीपद राय साकिनान पिकौरा शिवगुलाम तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती पोस्ट गांधीनगर

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

3. सन्द कुमार राय (अर्धविक्षिप्ति) पुत्र काली पद राय (लापता) पूर्व पता मोहल्ला रंजीत कालोनी खीरीघाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती पोस्ट गांधीनगर

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

4. अनमोल राय 5. अभिजीत राय पुत्रगण कमल राय साकिन मोहल्ला रंजीत कालोनी खीरीघाट मकान सं–100 तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती पोस्ट गांधीनगर

–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 11–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 11 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 331 / 2023

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
प्रेमप्रकाश त्रिपाठी आदि

1. प्रेमप्रकाश त्रिपाठी पुत्र दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी साकिन पुरानी बस्ती करूआ बाबा चौक पोस्ट पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 2. विनोद कुमार पुत्र श्री राममिलन साकिन व पोस्ट देऊराबाजार तप्पा नदयापार परगना नौगढ़ तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर

तारीख पेशी 23–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जवाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com bhartiyabasti@gmail.com